

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर

प्लाट नम्बर 123-124, गा फेज रिको इण्ड. एरिया, भीनमाल रोड, जालोर

क्रमांक:-ख.अ./जालोर/मानचित्र/डोन सर्वे/2022/ 179।

दिनांक:- २७/८/२२

श्रीमान निदेशक महोदय,

खान एवं भू विज्ञान विभाग,

उदयपुर ।

विषय:- कोटेशन वास्ते ड्रोन सर्वे का विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने बाबत ।

प्रसंग:-आपका पत्रांक निदे/सत/ड्रोन/2021/53 दिनांक 3.02.22 एवं 246-47 दिनांक 20.07.22 की पालना में

महोदय,

उपरोक्त विष्यान्तर्गत निवेदन है कि आपके प्रासंगिक पत्रों के कम में कोटेशन तैयार कर वास्ते विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने बाबत भिजवाई जा रही है। कृपया विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने का श्रम करावे ।

✓  
२७८

(राजेश हाडा)  
खनि अभियन्ता  
जालोर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः-

- 1 श्रीमान अतिनिदेशक खान सतर्कता मु0, उदयपुर ।
- 2 श्रीमान अतिनिदेशक खान जोधपुर ।
- 3 श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता जोधपुर ।

(राजेश हाडा)  
खनि अभियन्ता  
जालोर

## राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर

प्लाट नम्बर 123-124, गा. फेज रिको इण्ड. एरिया, भीनमाल रोड, जालोर

क्रमांक:-ख.अ./जालोर/मानचित्र/डोन सर्वे/2022/ 1799      दिनांक:- 27/02/22

### कोटेशन

निदेशालय के पत्र निदे/सत/झोन/2021/53 दिनांक 3.02.22 एवं 246-47 दिनांक 20.07.22 की पालना में बजट धोषणा अनुसार खनन पट्टों में अवैध खनन /निर्गमन की जॉच ड्रोन सर्वे तकनिक का इस्तेमाल कर की जानी है। उक्त प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त ड्रोन सर्वे कन्सलटेन्ट / फर्म/एजेन्सी आदि अपने लैटर पेड पर बन्द लिफाफे में कोटेशन कार्यालय खनि अभियन्ता जालोर में व्यक्तिगत या डाक से दिनांक 10.8.22 को सायः 5बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त लिफाफा बन्द कोटेशनों को दिनांक 16.8.22 को सायःकाल 5:30 बजे गठित कमेटी द्वारा खोली जाकर सफल निविदा दाता को नियमानुसार कार्यदेश दिया जावेगा। कोटेशन की शर्तें निम्नानुसार रहेगी।

1. खनन पट्टो का सलेक्शन विभाग द्वारा सफल निविदा दाता को उपलब्ध कराया जावेगा, जो कि रेण्डम सलेक्शन के आधार पर कार्यालय क्षेत्राधिकार के कम से कम 5 प्रतिशत खनन पट्टे व अन्य जो आवश्यक हो को शामिल किया जावेगा।
2. कलस्टर सर्वे की स्थिति में भी संबंधित एजेन्सी कलस्टर में शामिल प्रत्येक खनन पट्टे की पृथक पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
3. ड्रोन सर्वे हेतु चयनित खनन पट्टो की डिटेल /अक्षांश/दैशान्तर व विवरण सूचि आदि कार्यालय रियायत शाखा से प्राप्त करनी है।
4. ड्रोन सर्वे हेतु स्थानीय प्रशासन से अनुमति बाद सर्वे प्रारम्भ किया जाना है।
5. ड्रोन सर्वे हेतु तकनिकी स्टाफ व राजकीय वाहन सुविधा कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
6. सर्वे कार्य होने के पश्चात सर्वे एजेन्सी द्वारा प्रत्येक खनन पट्टे की रिपोर्ट जिसमें खनन पिट का नाप का पूर्ण विवरण व उत्थनित खनिज का आयतन अपनी रिपोर्ट में 3 डी फोटो ग्राफस व विडियो मय साफटकॉपी के खनि अभियन्ता /सहायक खनि अभियन्ता को उपलब्ध करायेगा।
7. खनि अभियन्ता /सहायक खनि अभियन्ता डोन सर्वे से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर आवश्यक हो तो भौतिक सत्यापन कर सकेंगे।

8. संबंधित सर्वे एजेन्सी को भुगतान ऑन लाईन किया जावेगा। भुगतान हेतु बैक का ब्यूरा देना होगा एवं स्वीकृत दर पर भुगतान निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर से बजट प्राप्त होने पर किया जावेगा।
9. चयनित एजेन्सी/फर्म/कन्सलटेन्ट की कोई शर्त मान्य नहीं होगी एवं निविदा से संबंधित अंतिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा।

W

27/22

(राजेश हाडा)  
खनि अभियन्ता  
जालोर